Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Anganbari Revision No.- 01/2023

Kiran Devi .... Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors .... Opposite Parties.

Web Copy Not Official.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	10.11.2023	**आदेश** प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया द्वारा आँगनबाड़ी अपील सं0–19 / 2022–23 में दिनांक–01.11.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभक्ष पक्षों को सुना। अररिया जिला के बाल विकास परियोजना, पलासी, पंचायत–डेहटी उत्तर, वार्ड सं0–09 मटिया टोला अंतर्गत केन्द्र सं0–194 में सेविका / सहायिका पद हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में चयन हेतु आयोजित आमसभा में विपक्षी सं0–05 रेणुका कुमारी उर्फ रेणुका देवी के पोषक क्षेत्र से बाहर की निवासी रहने एवं अन्य आपत्तियों के विवाद के कारण स्थगित करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया से मार्गदर्शन की माँग की गई। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया ने पत्रांक–698 दिनांक–08.07.2021 द्वारा मार्गदर्शन दिया कि अभ्यर्थी रेणुका कुमारी एवं लता कुमारी का नाम वार्ड सं0–09 के मतदाता सूची में अंकित नहीं है। फलतः ये अयोग्य हैं। दिनांक–26.04.2022 को आयोजित विशेष आमसभा में विपक्षी सं0–05 रेणुका कुमारी का सेविका पद पर चयन कर लिया गया, जबकि वे वार्ड सं0–11 की निवासी है तथा उक्त वार्ड से सरकारी लाभ भी प्राप्त करती है। उक्त चयन के विरूद्ध बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पलासी के समक्ष दायर परिवाद सं0–01 / 2022 दिनांक–13.06.2022 को अस्वीकृत कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया के समक्ष दायर उपरोक्त अपील भी मनमाने ढ़ंग से अस्वीकृत कर दिया गया। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। प्रश्नगत केन्द्र की मैपिंग पंजी स्थानीय सर्वेक्षण एवं वर्ष 2016 के मतदाता सूची के आधार पर बनाया गया है जिसमें विपक्षी सं0–05 का नाम दर्ज नहीं है बल्कि वार्ड सं0–11 में उनका नाम दर्ज है। पूर्व निर्मित मैपिंग पंजी में कुल 152 परिवार के मुखिया का नाम दर्ज है किन्तु अन्यथा मंशा से क्रमांक–153 पर विपक्षी सं0–05 के पति कमल प्रसाद विश्वास का नाम दर्ज कर दिया गया। इसी विवाद की वजह से पूर्व में आमसभा स्थगित कर दी गई	

		किन्तु अवैध तरीके से विशेष आमसभा में उनका चयन कर लिया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया ने उपरोक्त पत्र द्वारा उन्हें वार्ड सं0–09 के बाहर का निवासी पाते हुए उन्हें सेविका पद हेतु अयोग्य बताया था। बाल विकास क्रमशः	
	लगातार 10.11.2023	परियोजना पदाधिकारी, पलासी ने सुनवाई के दौरान विपक्षी सं0–05 के निवास के संबंध में माँगी गई प्रतिवेदन के आलोक में महिला पर्यवेक्षिका द्वारा गलत प्रतिवेदन समर्पित किया गया जो विधिसम्मत् नहीं है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया ने स्वयं अपने पत्रांक–698 दिनांक–08.07.2021 के प्रेषित मार्गदर्शन के विरूद्ध विरोधाभासी आदेश पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ विपक्षी सं0–05 रेणुका कुमारी उर्फ रेणुका देवी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद कालबाधित, पक्षकार दोषग्रसित एवं तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। विपक्षी सं0–05 का उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र पर विधिवत् सेविका पद पर चयन हुआ है। आम निर्वाचन नामावली, 2016 के क्रमांक–377 एवं 2021 के क्रमांक–373 पर वार्ड सं0–09 में विपक्षी सं0–05 के पति कमल प्रकाश विश्वास का नाम दर्ज है जिनका मतदाता पहचान पत्र सं0–UXB1914530 है। विपक्षी सं0–05 के स्वयं का नाम वार्ड सं0–09 के मतदाता सूची क्रमांक–374 पर अंकित है। उक्त वार्ड से इनके नाम राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र सं0–UBX1602283, आधार कार्ड सं0–7159 2034 7388 निर्गत है। प्रश्नगत केन्द्र के पोषक क्षेत्र हेतु निर्मित मैपिंग पंजी के क्रमांक–153 पर विपक्षी के पति कमल प्रकाश विश्वास का नाम दर्ज है। इनके चयन के विरूद्ध आवेदिका द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पलासी के समक्ष दायर परिवाद की सुनवाई के क्रम में महिला पर्यवेक्षिका द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि विपक्षी सं0–05 वार्ड सं0–09 की स्थायी निवासी है। फलतः उक्त वाद अस्वीकृत कर दिया गया। इसी प्रकार जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया के समक्ष दायर उक्त अपील में सभी पक्षों की सुनवाई करते हुए विपक्षी को वार्ड सं0–09 का निवासी पाकर अपील अस्वीकृत कर दिया गया। उक्त चयन हेतु निर्मित मेधा सूची में विपक्षी प्रथम स्थान पर है। विपक्षी का सेविका पद पर चयन मार्गदर्शिका में निरूपित प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है जिसमें कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। निम्न न्यायालय आदेश सही है। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया ने पत्रांक–1229 दिनांक–27.09.2023 द्वारा मंतव्य समर्पित करते हुए स्पष्ट किया है कि अपीलकर्त्ता किरण देवी द्वारा रेणुका कुमारी का आवासीय/स्थायी पता चयन होनेवाले वार्ड सं0–09, ग्राम पंचायत, डेहटी उत्तर, प्रखंड–पलासी में नहीं होने का दावा किया गया था। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पलासी से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार	

Web Copy Not Official.

चयनित सेविका के पति कमल प्रकाश विश्वास, पिता–गंगा प्रसाद विश्वास का नाम पंचायत निर्वाचन नामावली वार्ड सं0–09, डेहटी उत्तर के क्रम सं0–377 पर अंकित है एवं मैपिंग पंजी के क्रमांक–153 पर दर्ज किया गया। उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर रेणुका कुमारी के चयन को तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा संपुष्ट किया गया है।

उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि

क्रमशः

<u>लगातार</u>
10.11.2023

आवेदिका ने विपक्षी सं0–05 रेणुका कुमारी को मूलतः वार्ड सं0–11 की निवासी होना बताया है जबकि विपक्षी का दावा है कि वे वार्ड सं0–09 की निवासी है। विपक्षी ने अपने समर्थन में आम निर्वाचन नामावली–2016 के क्रमांक–377 एवं 2021 के क्रमांक–373 पर इनके पति कमल प्रसाद विश्वास का नाम दर्ज है। स्वयं विपक्षी का भी नाम मतदाता सूची के क्रमांक–374 पर अंकित है। इन्होंने उक्त वार्ड के निवासी होने के संदर्भ में राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड साक्ष्य के रूप में संलग्न किया है। पोषक क्षेत्र हेतु मैपिंग पंजी के क्रमांक–153 पर इनके पति कमल प्रसाद विश्वास का नाम दर्ज है। निम्न न्यायालय ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पलासी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को वार्ड सं0–09 का निवासी मानते हुए इनके चयन को संपुष्ट किया है जो मार्गदर्शिका में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित पाते हुए इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। निम्न न्यायालय आदेश को संपुष्ट करते हुए पुनरीक्षण वाद अस्वीकृत किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय अभिलेख वापस भेजें।

लेखापित एवं शुद्धित।

आयुक्त,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।

आयुक्त,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।

Web Copy, Not Official.

Web Copy. Not Official.